तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दिनेश बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/93**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(32) Portal Appl No 233002937676733/05748 /2024/46 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आर.टी.आई. पोर्टल पर दिनांक 11.10.2024 को आवेदन संख्या 233002937676733 दर्ज किया गया। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त उक्त आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना नगर परिषद्, अलवर से संबंधित होने से कारण आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 578 दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से आयुक्त, नगर निगम, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित किया गया है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना नगर परिषद्, अलवर से संबंधित होने से कारण आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 578 दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से आयुक्त, नगर निगम, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित की जाकर प्रतिलिपि आवेदन/अपीलार्थी को भी पृष्ठांकन क्रमांक 579 दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	